

FORM No.III



फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला - झालावाड़ (राज.)

सदायत वार्ड बनाम सरकार

सम मुकदमा प्रा० पत्र नं. 79 सन् 2026

क्र	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
13/26	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण बाद जाँच सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की। पत्रावली वास्ते इतजार तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 06/04/26 को पेश हो। <i>Ymp</i> 16/03/26	
26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को सम्मन बाद तालीम देकर प्रपत्र शा० फा०/ प्रा० पत्रावली द्वारा उक्त साराणी खाम/ 180 375 क्रि० 4 के विरुद्ध पेश किया गया। प्र० फा 23/2026 इनवान सदायत वार्ड बनाम सरकार दिनांक 22/1/26 को उपस्थित विपरीत है ^{वै} लीगल है। प्रार्थी को अनुदीप्त प्रदान किया जा चुका है। अतः समान पक्षकारी के अर्थ same cause of action.	 

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहम
हुक्म
में

and same relief दे पुनः प्रस्तुत प्रेष
करना धारा -11 CPC से वादी है / पूर्ववर्ती प्रस्ताव
को पुनः कर merit पर ही adjudicate प्र
जा चुका है / नतः प्रकरण को खारिज
दिया जाकर फैलतमुसा कर नम्बर से कर
कर पूर्ववर्ती प्रस्तुत के साथ लागू है



[Handwritten signature]

06/11/2026
उपखण्ड अदालत

पिडावा, जिला न्यायालय (महाराष्ट्र)